न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/21/17 निर्णय दिनांक : 21.06.2018

उनवान

1. दयालचन्द पुत्र कालूराम जाति राजपूत निवासी तिलवाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।
2. मुन्शी पुत्र कन्नी जाति मेव निवासी ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. मुखराम पुत्र श्री बद्री प्रसाद सैनी निवासी ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........अप्रार्थीगण

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 0.25, 553 रकबा 0.53 हैक्ट0 वाके ग्राम खानपुर खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थी तन्हा कब्जा काश्त रिकोर्डेड खातेदार है। आज दिनांक तक कब्जे काश्त रहकर उक्त विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से लगती हुई आराजी अप्रार्थी सं0 2 व 3 की है। जो अनावश्यक रूप से बिना किसी उचित कारण के मिन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में दखलन्दाजी करते है। जिसको रोकने के लिए प्रार्थी ने अथक प्रयास कर लिये लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे है। बार–बार डोल तोड कर अतिक्रमण करते है। प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 19.10.2016 को की गई थी और उस वक्त इन व्यक्तियों को पैमाईश से अवगत करा पाबन्द फरमाया गया था परन्तु फिर भी परेशान करते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 0.25, 553 रकबा 0.53 हैक्ट0 वाके ग्राम खानपुर खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को पेश हुई। प्रार्थी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित हुआ। प्रार्थी को सुना गया।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 19.10.2016 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगढ के आदेश क्रमांक 61 दिनांक 11.08.16 की अनुपालना भू0 अ0 निरीक्षक मालपुर व पटवारी हल्का ईन्दपुर ग्राम खानपुर खुर्द के खसरा नम्बर 552 रकबा 0.25, 553 रकबा 0.53 हैक्ट0 का सीमांकन हेतु मौके पर पहुचे। दोनों पक्षकारों को पैमाईश की सूचना मोबाईल पर दी जाकर मौके पर उपस्थित होने की सूचना दी गई। मौके पर वादी दयलाराम पुत्र कालाराम राजपूत एवं ग्रामवासी मौके पर उपस्थित मिलें। ग्राम तिलवाड एवं खानपुर खुर्द की मध्य को मौका एवं नक्शे अनुसार सही मानकर मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए ग्राम खानपुर खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 548 /710 के उत्तर पश्चिम से पैमाईश प्रारम्भ कर पूर्व दिशा में 9 जरीब 2 गटठा चलकर आराजी खसरा नम्बर 552 के उत्तर पश्चिम कोना कायम किया पुनः यहां से नक्शा एवं रिकार्ड अनुसार जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.25, 553 रकबा 0.13 सभी सीमाओं मुताबिक नक्शा मापकर निशानात कायम कराये गये एवं उपस्थित व्यक्तियों को अवगत कराया। प्रार्थी व अन्य मोतवीरान उपस्थितगणों के हस्ताक्षर करायें।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 19.10.2016 को की जा चुकी है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 552 रकबा 0.25, 553 रकबा 0.53 हैक्ट0 वाके ग्राम खानपुर खुर्द तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ईन्दपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)